

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एनआरएचएम/आरसीएच-11/जे.एस.वाई./2009/१६२

दिनांक :- 17/06/09

निदेशक,
जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।


महोदय,

इस पत्र के साथ संलग्न निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों/ट्रेड जनरल में निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करें।

1. राज्य स्तर के दो समाचार पत्र जिसमें एक का प्रसारण सं० 50,000 प्रतियां प्रतिदिन अथवा अधिक का हो।
2. अखिल भारतीय स्तर का समाचार पत्र एक
3. इण्डियन ट्रेड जनरल पत्रिका

उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा फार्म एवं निविदा की शर्तें/विशिष्टियां जन सम्पर्क निदेशालय विभाग की वेबसाइट www.dipronline.org एवं विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर देखी जा सकती है।

संलग्न : निविदा सूचना छः प्रतियों में ।


निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर


क्रमांक :- एनआरएचएम/आरसीएच-11/जे.एस.वाई./2009/823

दिनांक :- 17/06/09

निविदा सूचना

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान की ओर से प्रदेश के समस्त जिलों के ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूताओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मासिक आधार पर वाहनो (एम्बुलेन्स-वैन, टैम्पो ट्रेक्स) की आवश्यकता के लिये अनुभवी एवं पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/संस्थाओं से वार्षिक दर संविदा हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

पंजीकृत एजेंसियों/संस्थाएं उक्त वाहनो को किराये पर देने हेतु निविदा प्रपत्र राशि रु 100/- का बैंकर चैक जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के पक्ष में बनवाकर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से दिनांक 30.6.09 को 2.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदा प्रपत्र निविदा प्राप्ति स्थल पर ही दिनांक 16.07.09 को सायं 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं दिनांक 17.07.09 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ नियमानुसार धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य है।


(डॉ० एम.एल.जैन) 17/6/09
निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एनआरएचएम/आरसीएच-11/जे.एस.वाई./2009/७३५


दिनांक :- 17/02/09

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जिला स्वास्थ्य समिति,

राजस्थान।

विषय:-जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर प्रसूताओ को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मासिक आधार पर जिला स्तर पर वाहनो (एम्बुलेन्स-वैन, टैम्पो ट्रेक्स) की आवश्यकता के लिये निविदा आमंत्रित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर एक-एक वाहन उपलब्ध कराकर प्रसूताओ को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मासिक आधार पर जिला स्तर पर वाहनो (एम्बुलेन्स-वैन, टैम्पो ट्रेक्स) की आवश्यकता के लिये समस्त जिलो हेतु निदेशालय स्तर पर निविदा का प्रकाशन किया गया है। उक्त कार्य की निविदा हेतु निविदा प्रपत्र का प्रारूप, निविदा सूचना एवं आवश्यक शर्तें संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया संलग्न दस्तावेजो के अनुरूप एवं नियमानुसार निविदा खोलने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावें।


(डॉ० एम.एल.जैन) 17/02/09


निदेशक (आर..सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

896 - 905

दिनांक 17/02/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. सचिव परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, एन.आर.एच.एम. जयपुर / CAO (FW)
4. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम. जयपुर
5. राज्य वित्तीय प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम, जयपुर
6. संबंधित जिला कलेक्टर।
7. प्रभारी सर्वर रूम
8. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
9. नोटिस बोर्ड।
10. गार्ड फाईल।


निदेशक (आर..सी.एच.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर


क्रमांक :- एनआरएचएम/आरसीएच-11/जे.एस.वाई./2009/ 883

दिनांक :- 17.6.09

निविदा सूचना

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान की ओर से प्रदेश के समस्त जिलों के ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूताओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मासिक आधार पर वाहनो (एम्बुलेन्स-वैन, टैम्पो ट्रेक्स) की आवश्यकता के लिये अनुभवी एवं पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/संस्थाओं से वार्षिक दर निविदा हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

पंजीकृत एजेंसियों/संस्थाएँ उक्त वाहनो को किराये पर देने हेतु निविदा प्रपत्र राशि रु 100/- का बैंकर चैक जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के पक्ष में बनवाकर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से दिनांक 30.6.09 को 2.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदा प्रपत्र निविदा प्राप्ति स्थल पर ही दिनांक 16.07.09 को सायं 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं दिनांक 17.07.09 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ नियमानुसार धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य है।


(डॉ० एम.एल.जैन) 17/6/09


निदेशक (आर..सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

884-94

17/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. सचिव परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, एन.आर.एच.एम, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम, जयपुर।
7. राज्य वित्तीय प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम।
9. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. नोटिस बोर्ड।
11. गार्ड फाईल।


निदेशक (आर..सी.एच.) 17/6/09

SCHEDULE --“G”

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति.....
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वाहन किराये पर लेने की दर

वाहन उपयोग की मासिक दर :-

कार का विवरण	मासिक दर	निर्धारित सीमा तक दर
एम्बुलेन्स वाहन (वैन/टैम्पो ट्रेक्स)	1500 कि.मी तक	
	1500 कि.मी. से अधिक प्रति अतिरिक्त कि.मी की दर	

हस्ताक्षर निविदादाता फर्म मय मोहर

ANNEXURE -B
Technical Bid

क्र०स०	संस्था का नाम	
1.	फर्म का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाष : कार्यालय निवास : मोबाईल : ई-मेल :	
4.	तार का पूरा पता	
5.	फर्म का मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था	
6.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता	
7.	रजिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा/शाप एक्ट/ सहकारी विभाग /सेवा कर विभाग से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के क्रमांक व दिनांक	
8.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) के हस्ताक्षर किये है। (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है। हाँ/नहीं?	
9	राजकीय विभाग/उपकर्मों में संबंधित वाहन किराये पर देने के दो वर्षों के अनुभव का विवरण/प्रमाण पत्र	(प्रमाण पत्र संलग्न)
10	संलग्न अमानत राशि का विवरण	(अमानत राशि संलग्न)
11	फर्म के पास उपलब्ध तकनीकी विवरण संलग्न करें।	
12	वाहन का मेक/मॉडल	
13	वाहन का नम्बर (टैक्सी नम्बर)	

राजस्थान सरकार

जिला स्वास्थ्य समिति.....

जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, में वर्ष 2009-10 में वाहन किराये पर लेने की निविदा एवं शर्त :-

1. निविदाकार को निविदा सीलबन्ध लिफाफे में "वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा" लिखकर संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष नं० आदि अवश्य लिखें।
2. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, धरोहर राशि का बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / प्राप्ति रसीद तथा पिछले पांच वर्षों की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा जिनमे कम से कम दो वर्ष का अनुभव सरकारी / स्वायत्तशासी विभाग में टैक्सी कार किराये पर देने की संतोषप्रद सेवायें देने का प्रमाण पत्र होगा जो दो वर्ष से पुराना न हो एवं फर्म के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट भी सलंगन करना होगा, जिसमें वार्षिक टर्नओवर 50000/- से कम नही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार ऑफ कॉमर्स के द्वारा शाप एक्ट / सहकारी विभाग / बिक्री कर विभाग, से जारी बैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र सलंगन नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होगी जो उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त, सशर्त एवं अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में केवल बॉलपेन से ही भरी जाये। निविदा में कांट छांट / ओवरराईटिंग होने पर निविदादाता स्वयं के हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेंगे। ऐसी किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राईटिंग जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर नहीं हैं, निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट-छांट या ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।
4. कार्य की दर सलंगनक-अ 'शिड्यूल-जी' में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत की जाये तथा सलंगनक-ब में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शर्त मान्य नहीं होगी।
5. अनुबंध के अन्तर्गत प्रत्येक बार सेवा प्रदायगी के पश्चात् सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा लोग बुक / बिल पर कार्य को प्रमाणित करने पर ही बिल का भुगतान किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होगा।
6. विभाग को निविदा की अनुबंध की शर्तों के अनुसार संतोषप्रद कार्य न होना या अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर "शास्तिस्वरूप उतनी राशि विभाग वसूल करेगा, जो विभाग निर्धारित करें। साथ ही ऐसी दशा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति को संविदा को बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

7. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा इस विभाग को लिखित में दी जावेगी, किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबंध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबंधकर्ता को विमुक्त नहीं किया जावेगा।
8. वाहन का मॉडल 2007 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
9. वाहन सही हालत में होने पर उपलब्ध कराया जावेगा, वाहन की सर्विसिंग इत्यादि समय पर निविदादाता द्वारा कराई जावेगी।
10. निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करेगा। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में, विभाग के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।
11. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के विपरीत अंकित की गई अथवा निविदा में सशर्त दरों के रूप में अंकित किसी भी शर्त को मान्यता नहीं दी जावेगी।
12. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा।
13. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रैक्ट, फर्म किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगी अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगी।
14. अनुबंध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें परस्पर सहमति से 6 माह के लिए वृद्धि की जा सकती है।
15. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को धरोहर राशि (Earnest Money) के रूप में नियमानुसार राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जा सकेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि विभाग द्वारा लौटा दी जावेगी।
16. अमानत राशि का समपहरण निम्न: स्थितियों में किया जा सकेगा :-
 - जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (Modification) उपान्तरित कर देता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता,
 - जब कार्यदेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता या,
 - जब निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
17. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को स्वयं के खर्च पर 100/- ₹ के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को वार्षिक अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत राशि के बराबर प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में विभाग को नकद अथवा

डिमाण्ड ड्राम्ट द्वारा जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता है:-

- जब निविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 - निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदायगी में विफल रहाता है।
 - प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
 - प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा।
19. वाहन चालक के पास नया मोबाइल फोन हो जिससे कभी भी ब्लॉक के किसी भी गाँव से गाडी के लिए फोन कर सकें। वाहन 24 घंटे में कभी भी मांगा जा सकता है। फोन/मोबाइल बन्द होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर वाहन तत्काल इस कार्यालय द्वारा अन्य एजेन्सी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा उसकी दुगनी राशि अनुबंधित एजेन्सी (सफल निविदादाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।
20. दरें गंतव्य स्थान तक के लिए उद्घृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषांगिक प्रमारों को शामिल करना चाहिये। फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना निर्दिष्ट स्थान से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ती उपरान्त भी उपर्युक्तानुसार अंतिम गन्तव्य स्थान तक ही गणना मान्य होगी।
21. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का ही होगा।
22. इस कार्यालय द्वारा आवश्यकानुसार वाहन किराये पर लिया जायेगा। अतः निविदादाता प्रतिमाह के आधार पर दरें अंकित करें। निर्धारित कि.मी. के बाद अतिरिक्त कि.मी. की दरें अलग से दी जानी चाहिये। वाहन का प्रयोग जिले में किसी भी स्थान की यात्रा हेतु किया जा सकता है।
23. वाहन के कार्यालय में प्रवेश एवं प्रस्थान का समय एवं किलोमीटर की रिडिंग आदि सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी अन्यथा वाहन को उसी दिन अनुपस्थित मानते हुए शर्त संख्या-16 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
24. वाहन का पंजीयन/रोड टैक्स/ फिटनेस प्रमाण पत्र तथा प्रथम पार्टी वाहन के मालिक के नाम आवश्यक है, वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए।
25. वाहन प्रतिदिन साफ-सुथरी अवस्था में उपलब्ध होनी चाहिए तथा सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।
26. इस विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन की समय-समय पर जांच की जायेगी एवं सही नहीं पाये जाने पर या ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वाहन को तत्काल वापस भेज दिया जावेगा तथा भुगतान में से सेवा दोष के कारण शास्ती की कटौती की जायेगी।

27. इस कार्यालय के उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
28. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाने वाले समय ठीक होनी चाहिए। अगर वाहन रास्तों में खराब हो जाता है और कार्य सम्पादित कराने हेतु अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका हर्जाना स्वरूप 100 प्रतिशत की राशि की कटौती एजेन्सी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
29. अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राइविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नहीं होगा। वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादा पूर्ण होगा।
30. टोल टैक्स का यदि भुगतान किया जाता है तो निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाकर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर भुगतान किया जावेगा।
31. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम होगा।
32. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।
33. अनुबंधकर्ता फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वाहन चालक का सम्पूर्ण विवरण मय नवीनतम फोटोग्राफ के 2 प्रतियों में इस कार्यालय में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेंगे।
34. वाहन चालक को ई.एस.आई., पी.एफ., मेडिकल, आवास सुविधा, आदि एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
35. वाहन चालक की किसी भी कारण वश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/ मुआवजा आदि देने का भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
36. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार सर्विस टैक्स अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा अनिवार्य से दायी हों, की कटौती के पश्चात ही किया जावेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला स्वास्थ्य समिति

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम,
फर्म एवं पते सहित